विवरण—II

विशेषज्ञ दल पद्धति द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या

क्र०सं०	राज्य	गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की सं०	
		1983-84 (लाख में)	1987-88
1.	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	169.53	167.77
2.	असम	87.35	85.44
3.	बिहार	465.95	439.84
4.	गुजरात	120.76	128.58
5.	हरियाणा	29.85	25.90
6.	हिमाचल प्रदेश	7.44	7.62
7.	जम्मू व कश्मीर	15.42	16.36
8.	कर्नाटक	152.63	162.35
9.	केरल	109.93	92.22
10.	मध्य प्रदेश	279.38	265.89
11.	महाराष्ट्र	291.79	294.18
12.	उड़ीसा	181.79	167.96
13.	पंजाब	29.11	24.56
14.	राजस्थान	130.28	141.19
15.	तमिलनाडु	266.41	248.20
16.	उत्तर प्रदेश	557.54	537.05
17.	पश्चिम बंगाल	317.10	276.72
18.	अखिल भारत	3270.08	3127.48

टिप्पणी: (1) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अक्टू० 1983 और 1987 की जनसंख्या से संबंधित है।

IAS Officers in Central Government Autonomous Institutions

1891. DR. GOPALRAO VITHALRAO PATIL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of IAS Officers working in National Labour Institute; Indian Institute of Public Administration (IIPA); Institute of Applied Manpower Research and National Institute of Rural Development;

(b) whether it is a fact that IAS cadre posts are first created and later the Officers posted, if so, what is the justification in posting more than one Officer there; and

(c) what corrective steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) the number of IAS Officers working in:—

(i) *National Labour Institute:*

There was one IAS officer whose tenure has come to an end on 21.7.1996.

(ii) *Indian Institute of Public Administration (IIPA):*

Nil

(iii) *Institute of Applied Manpower Research:*

Nil

(iv) *National Institute of Rural Development:*

Two IAS fficers are at present in position and one IAS officer has recently been approved.

(b) and (c) Appointments of IAS officers are made either under the Central Staffing Scheme after following the prescribed procedure laid down therein, or under the relevant recruitment rules prescribed or under the provisions of rule 6 of the IAS (Cadre) Rules 1954, as appropriate to the case.

जम्मू और कश्मीर में विकासात्मक योजनाओं का मूल्यांकन

1892. **श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में विकास कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के बेहतर प्रबन्धन और सुचारू कार्यान्वन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के कई दल राज्य का दौरा कर चुके हैं तथा विकास कार्यों का स्वयं निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने विकास योजनाओं और कार्यों के निष्पादन कार्य को कुल मिला कर संतोषजनक पाया है। योजना गतिविधियों का कड़ा पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए ताकि निधियों की चोरी को न्यूनतम किया जा सके, राज्य सरकार ने जिला विकास आयुक्तों के नेतृत्व में विभिन्न सेक्टरों में बड़े कार्यों का मौके पर मूल्यांकन करने हेतु जिला स्तर पर प्रत्यक्ष सत्यापन समितियां भी गठित की हैं। केन्द्र और राज्य सरकार के इन संयुक्त प्रयासों से पर्यवेक्षण प्रणाली को नया रूप देने और जवाबदेही को कड़ाई से लागू करने में पर्याप्त मदद मिली है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में समांतर बॉटलिंग संयंत्रों के लिए लाइसेंस

1893. **श्री राघवजी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में समांतर बॉटलिंग संयंत्र शुरू करने के लिए जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या कितनी है और उन व्यक्तियों और राज्यों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने एक सिलेंडर का कोई मूल्य निर्धारित किया है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के रसोई गैस सिलेंडरों की दरों में कोई विसंगति है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र में अब तक कितने संयंत्र शुरू किये गए हैं और कितने संयंत्र कार्य कर रहे हैं तथा उनमें से कितने संयंत्र बन्द होने के कगार पर हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में जांच करने के लिए कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की थी; और

(च) क्या समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू): (क) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्हें समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत एल पी जी भरण संयंत्रों की स्थापना के लिए 322 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इन्हें अभिन्यास अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। अब तक इनमें से 100 इकाइयों को प्रचालन लाइसेंस प्रदान कर दिए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय निजी क्षेत्र में एल पी जी भरण